भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1267

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कैंसर के मामलों में वृद्धि

†1267. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2014 से देशभर में कैंसर के मामलों में वृद्धि देखी है और यदि हाँ, तो कैंसर के प्रकारवार और राज्यवार तत्संबंधी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2014 से प्रतिवर्ष दर्ज की गई कैंसर से संबंधित मौतों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या किसी अध्ययन या विशेषज्ञ समितियों ने देश में कैंसर के मामलों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी विशिष्ट कारणों
या उत्पादों की पहचान की है और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा प्रतिबंधित या विनियमित की गई वस्तुओं या पदार्थों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) कैंसर की स्क्रीनिंग, शीघ्र पता लगाना और उपचार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों की स्थापना और कैंसर रोग विशेषज्ञों की उपलब्धता शामिल है; और
(ङ) वर्ष 2014-15 से आज तक कैंसर की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए बजट आवंटन और व्यय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (एनसीआरपी) के अनुसार, वर्ष 2014 से देश में सभी प्रकार के कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र-वार **अनुलग्नक-I** में दी गई है। वर्ष 2014 से देश में कैंसर से होने वाली मृत्यु की अनुमानित संख्या **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

(ग) आईसीएमआर ने सूचित किया है कि कैंसर के मामलों में वृद्धि के कारण कैंसर का पता लगाने के लिए उन्नत निदान तकनीकों की उपलब्धता, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, वृद्धजनों की बढ़ती संख्या, स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार हैं। इसके अलावा, कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) से जुड़े पारंपरिक जोखिम कारकों जैसे तंबाकू और शराब का सेवन, अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि, अस्वास्थ्यकर आहार, अधिक नमक, चीनी और संतृप्त वसा का सेवन आदि में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, मानव संसाधन विकास, स्क्रीनिंग, शीघ्र निदान, रेफरल, उपचार और स्वास्थ्य संवर्धन पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 364 जिला डे केयर कैंसर केंद्र (डीसीसीसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 6,410 एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जिला अस्पताल स्तर पर कैंसर परिचर्या की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 297 जिला डे केयर कैंसर केंद्रों (डीसीसीसी) को मंजूरी दी गई है।

सामान्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम, नियंत्रण और स्क्रीनिंग के लिए एक जनसंख्या-आधारित पहल पूरे देश में शुरू की गई है, जिसमें तीन सामान्य कैंसर भी शामिल हैं। इस पहल के तहत, 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कैंसर सहित सामान्य एनसीडी की स्क्रीनिंग के लिए लक्षित किया गया है।

इसके अलावा, उन्नत कैंसर परिचर्या प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 19 राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और 20 विशिष्ट कैंसर परिचर्या केंद्र (टीसीसीसी) स्थापित किए गए हैं। साथ ही, सभी 22 नए एम्स में निदान, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा सुविधाओं के साथ कैंसर उपचार सुविधा केंद्रों को मंजूरी दी गई है।

(ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत गैर-संचारी रोगों के कार्यक्रम (एनसीडी) के लिए लचीले पूल के तहत राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत वित्त वर्ष 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान किए गए व्यय का विवरण अनुलग्नक-III में संलग्न है।

दिनांक 06.02.26 को उत्तर दिए जाने हेतु, लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1267 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

भारत में कैंसर के मामलों की अनुमानित व्यापता (सभी स्थल – महिला-पुरुष दोनों) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार: 2014 से 2024

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
जम्मू और कश्मीर	14115	14864	15652	16480	17351	12396	12726	13060	13395	13744	14112
लद्दाख	-	-	-	-	-	279	286	294	302	309	318
हिमाचल प्रदेश	7425	7722	8029	8348	8679	8589	8799	8978	9164	9373	9566
पंजाब	30025	31214	32474	33781	35137	37744	38636	39521	40435	41337	42288
चंडीगढ़	1162	1217	1274	1335	1398	994	1024	1053	1088	1120	1152
उत्तराखंड	11240	11796	12381	12995	13640	11216	11482	11779	12065	12348	12642
हरियाणा	27933	29240	30611	32049	33558	28453	29219	30015	30851	31679	32513
दिल्ली	18356	19168	20015	20899	21821	24436	25178	25969	26735	27561	28387
राजस्थान	75642	79160	82836	86675	90686	69156	70987	72825	74725	76655	78604
उत्तर प्रदेश	222615	233659	245231	257353	270053	196652	201319	206088	210958	215931	221000
बिहार	117603	123949	130628	137656	145051	101014	103711	106435	109274	112180	115123
सिक्किम	463	473	479	485	490	443	445	465	496	525	561
अरुणाचल प्रदेश	1231	1252	1272	1292	1313	1015	1035	1064	1087	1125	1143
नागालैंड	1288	1294	1300	1309	1318	1719	1768	1805	1854	1890	1935
मणिपुर	2836	2916	2998	3082	3168	1844	1899	2022	2097	2169	2250
मिजोरम	1585	1618	1652	1687	1723	1783	1837	1919	1985	2063	2114
त्रिपुरा	2139	2169	2199	2229	2260	2507	2574	2623	2715	2790	2871
मेघालय	3184	3246	3311	3376	3442	2808	2879	2943	3025	3099	3168
असम	31124	31474	31825	32177	32530	36948	37880	38834	39787	40721	41713
पश्चिम बंगाल	99339	103532	107906	112466	117220	105814	108394	110972	113581	116230	118910
झारखंड	37031	38947	40959	43071	45289	33045	33961	34910	35860	36840	37824
ओडिशा	45736	47666	49674	51763	53936	49604	50692	51829	52960	54136	55335
छत्तीसगढ़	28738	30239	31817	33477	35223	27113	27828	28529	29253	30014	30763
मध्य प्रदेश	81034	85078	89315	93754	98403	75911	77888	79871	81901	84029	86124
गुजरात	66952	70171	73551	77097	80820	67841	69660	71507	73382	75290	77205
दमन और दीव	339	385	440	504	579	118	124	135	150	161	173
दादरा और नगर हवेली	421	457	497	542	591	186	206	219	238	252	268
महाराष्ट्र	122256	127390	132726	138271	144032	113374	116121	118906	121717	124584	127512
तेलंगाना	38494	40177	41939	43784	45713	46464	47620	48775	49983	51145	52334
आंध्र प्रदेश	53570	55776	58072	60475	62978	68883	70424	71970	73536	75086	76708
कर्नाटक	67237	70302	73511	76867	80381	83824	85968	88126	90349	92560	94832
गोवा	1587	1655	1726	1801	1881	1591	1618	1652	1700	1735	1783
लक्षद्वीप	77	82	89	96	104	27	27	28	28	31	32
केरल	37550	39672	42004	44566	47382	56148	57155	58139	59143	60162	61175
तमिलनाडु	76091	78512	80999	83554	86180	86596	88866	91184	93536	95944	98386
पुदुच्चेरी	1428	1510	1596	1687	1783	1523	1577	1623	1679	1753	1823
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	402	415	429	443	458	357	366	380	393	401	408

दिनांक 06.02.26 को उत्तर दिए जाने हेतु, लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1267 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-II

भारत में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कैंसर के मामलों की अनुमानित मृत्यु दर - सभी स्थल (2014-2023) – महिला-पुरुष दोनों के लिए	
वर्ष	कैंसर के मामलों की अनुमानित मृत्यु संख्या
2014	6,62,592
2015	6,79,776
2016	6,97,255
2017	7,15,010
2018	7,33,139
2019	7,51,517
2020	7,70,230
2021	7,89,202
2022	8,08,558
2023	8,28,252

दिनांक 06.02.26 को उत्तर दिए जाने हेतु, लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1267 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-**III**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत गैर-संचारी रोग कार्यक्रम (एनपीएनसीडी) के लिए लचीले कोष के तहत राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) पर वित्त वर्ष 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान किए गए व्यय का विवरण।	
	(लाख रुपए में)
वित्त वर्ष	व्यय
2015-16	15356.91
2016-17	19928.78
2017-18	10964.48
2018-19	12410.9
2019-20	13472.92
2020-21	12973.52
2021-22	41349.17
2022-23	47354.57
2023-24	48720.78
2024-25	64471.31

*****